




1 आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख के साथ
	<p>आवेदक श्री संजय कुमार महाकुड़, पिता-प्रभाकर महाकुड़, ग्राम-महुदी(लखनसाई), पो०-नोवामुण्डी, थाना-नोवामुण्डी, जिला-प० सिंहभूम, चाईबासा ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-27, प्लॉट नं०-414, रकवा-0.15एकड़ भूमि का ऑनलाईन लगान भुगतान नहीं हो रहा है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी,                      नोवामुण्डी।                 </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि हाल सर्वे खतियान में मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-27, प्लॉट नं०-414, रकवा-0.15एकड़ भूमि में कुल्हो राम गौड़, पिता-स्व० मीलू गौड़ के नाम पर दर्ज है। मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-27, प्लॉट नं० क्रमशः-413, 414, रकवा क्रमशः-0.06 एकड़, 0.15 एकड़ कुल रकवा-0.21 एकड़ भूमि का नामान्तरण मुकदमा संख्या-01/2006-07 के द्वारा नामान्तरण होकर ऑनलाईन पंजी-11 के भाग सं०-1 पृष्ठ सं०-18 में संजय कुमार महाकुड़ पिता-स्व० प्रभाकर महाकुड़ के नाम से दर्ज है। उक्त खाता के प्लॉट 414 का रकवा-0.00 एकड़ पंजी-11 में दिखा रहा है जो शुद्धि पत्र में रकवा-0.15 एकड़ है। उक्त रकवा को सुधार किया जा सकता है।</p> <p>अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-27, प्लॉट नं०-414, रकवा-0.15एकड़ भूमि श्री संजय कुमार महाकुड़ पिता-स्व० प्रभाकर महाकुड़ के नाम पर ऑनलाईन पंजी-11 के भाग संख्या-7 पृष्ठ संख्या-18 में रकवा-0.15 एकड़ दर्ज करें। संबंधित मामला को e-court के माध्यम से निष्पादित करें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">                       अंचल अधिकारी,                      नोवामुण्डी।                 </p> <p style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी,                      नोवामुण्डी।                 </p>	